

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाडमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 100/2019

प्रार्थी

कानाराम पुत्र श्री जुगताराम जाति चौधरी निवासी समदडी जिला बाडमेर राज.
बनाम

विप्रार्थीगण

1. अनोपाराम पुत्र श्री जेठाराम जाति चौधरी निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बाडमेर राज.
2. तिलोकराम पुत्र श्री जेठाराम जाति चौधरी निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बाडमेर राज.
3. भीमाराम पुत्र श्री जेठाराम जाति चौधरी निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बाडमेर राज.
4. रतनी पत्नी श्री जेठाराम जाति चौधरी निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बाडमेर राज
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी


प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128, 141(ए), राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

-:: आदेश ::-

दिनांक :-16.04.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 141(ए) रा.भू.रा. अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है जिसका संक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 967/302 रकबा 01-04 बीघा किस्म गै.मु. आबादी एवं कब्जा स्वामित्व की भूमि आई है उक्त कब्जा स्वामित्व की भूमि के बदिशा दक्षिण में सार्वजनिक आम रास्ता भूमि खसरा संख्या 716/331 गै.मु. सडक मार्ग आया हुआ है उक्त सडक मार्ग के बदिशा दक्षिण में विप्रार्थीगण 1 ता 4 की भूमि खसरा संख्या 1472/334 की भूमि आई हुई है। उक्त आबादी में सम्परिवर्तित भूमि खसरा संख्या 967/302 के दक्षिण की तरफ विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने मिलकर जबरन कब्जा कर, प्रार्थी की भूमि पर भी पर कब्जा करने की चेष्टा करते है तथा मौके पर दक्षिण दिशा की तरफ उक्त खसरान की भूमि का नाप नहीं करने दे रहे है, तथा दक्षिणी दिशा की तरफ उक्त खसरान का सही सीमा निर्धारण भी मौके पर नहीं करने दे रहे है तथा दक्षिण दिशा की हद सही तौर से नाप करके स्पष्ट नहीं करने दे रहे है। जिससे प्रार्थी के उक्त स्वामित्व कब्जा भूमि के चारो चार दीवारी बनाने पर मौके पर विवाद हो रहा है तथा उक्त खसरान की दक्षिण हद का सही निर्धारण कर मौके पर पत्थर गढी करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र श्री न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।




उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध याबजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071 -2074 सरहद मौजा समदडी पटवार मण्डल समदडी तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 967/302 करबा 01-04 बीघा भूमि किस्म गै.मु. आवासीय का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व नेखबन्दी नहीं होने की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ विवाद की स्थिति बनी रहती है, जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार समदडी को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा समदडी पटवार मण्डल समदडी तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 967/302 करबा 1-04 बीघा किस्म गै.मु. आवासीय भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार समदडी को 500/- शुल्क पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार समदडी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(कसुमलती चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

आदेश आज दिनांक 16.04.2021 को खुले न्यायालय सुनाया

गया।

(कसुमलती चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांक: वाचक/2021/6450

प्रार्थी

बनाम

दिनांक :- 24/06/21

विप्रार्थीगण

कानाराम

अनोपाराम वगैरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128, 141 (ए) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

राजस्व आवेदन सं.....100/2019

दिनांक :- 16.04.2021

-:: आदेश ::-

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम समदडी पटवार मण्डल समदडी तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 967/302 रकबा 01-04 बीघा किस्म गै.मु.आवासीय भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार. समदडी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस रुपये 500/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।





उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)

दिनांक :- 24/06/21

क्रमांक: वाद/2021/6450 - 57
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदडी
2. थानाधिकारी समदडी
3. हल्का पटवारी समदडी को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. कानाराम पुत्र श्री जुगताराम जाति चौधरी निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बाड़मेर राज.


उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)